

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (A-216) अलेसे-1/1014

दिनांक:- 14/07/2020

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार दवे (लिंग नं. 3259), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 983 दिनांक 30.11.2017 की अनुपालना में दिनांक 07.12.2017 से 16.09.2019 तक (दिनांक 10.04.2018 से 25.04.2018 एवं 24.06.2019 से 27.06.2019 तक उपार्जित अवकाश की अवधि को कम करते हुए) अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय उपवन संरक्षक, वन विभाग, सिरौही में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (A-216) अलेसे-1/1014

दिनांक:- 14/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कोषाधिकारी, सिरौही।
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्रा), शिक्षा विभाग, सिरौही।
3. उपवन संरक्षक, वन विभाग, सिरौही।
4. श्री अशोक कुमार दवे, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्रा), शिक्षा विभाग, सिरौही।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)